2.6.17

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र सिणधरी चौसिरा मे पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। उतरदाता स.1 व 9 उपस्थित। अधिवक्ता श्री बीजाराम गोदारा द्वारा उतरदाता स.3 से 8 की तरफ से वकालतनामा मय इकबाली जबाव पेश किया गया है। एवं उतरदाता स.9 की ओर से जबाव पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलाण्ट ने कथन किया कि,ग्राम ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 47 रकबा 157–02 बीधा आवगी मुतवफी सालगाराम वल्द नगाराम की खातेदारी मे दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता सालगाराम के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.05 मे अपीलाण्ट का सही नाम सतीराम के स्थान पर गलत नाम आसुराम दायर किया गया। जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड मे उक्त प्रविष्टि चली आ रही है। जबकी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम वल्द सालगाराम है। अतःअपीलाण्ट का सही नाम सतीराम वल्द सालगाराम दायर किया जावे।

वकील अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए उतरदाता स.3 से 8 के वकील ने कथन किया कि मुतवफी सालगाराम के तीन पुत्र अपीलाण्ट सतीराम,उतरदाता स.3 से 6 के वारिसान लूम्बाराम व उतरदाता स.7 व 8 के पिता दुर्गाराम थे। सालागाराम के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम के स्थान पर आसुराम दायर किया गया। जो गलत दायर किया गया है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाता है। जो उतरदाता स.3 से 8 को कोई आपर्ति नही है।

उतरदाता स.9 ने भी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत इन्द्राज हो रखा अपीलाण्ट के नाम को शुद्व करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजो एव तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 47 रकबा 157–02 बीधा भूमि आवगी सालगाराम वल्द नगाराम की खातेदारी मे दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता सालगाराम के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण स.05

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

मे सालगाराम के वारिसान के रूप मे लूम्बाराम,दुर्गाराम व आसुराम का नाम खातेदारी मे दायर किया गया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम है। लेकिन तत्समय नामान्तकरण भरने के दौराने सतीराम के स्थान पर आसुराम दायर किया गया। जो गलत नाम दायर किया गया है। उक्त तथ्यो को विवादित भूमि के सहखातेदारान उतरदाता स.3 से 8 ने स्वीकार किया है,कि विवादित भूमि मे अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम के स्थान पर गलत नाम आसुराम दायर हो रखा है। जबकि सही नाम सतीराम है। और उतरदाता स.3 से 8 ने अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम दुरूस्त करने के सबंध मे सहमति भी दी गई है। एवं उतरदाता स.9 ने भी अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गई है। एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजी साक्ष्य यथा–भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड प्रति,भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड प्रति,ग्राम पंचायत कमठाई द्वारा जारी जॉब कार्ड प्रति,परिवार राशनकार्ड प्रति,व्यवस्थापक सहकारी समिति कमठाई द्वारा जारी सहकारी किसान कार्ड प्रति सतीराम वल्द सालगाराम का इन्द्राज है।इससे भी साबित होता है। कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम वल्द सालगाराम है। एवं मजमे आम मे भी पुछताछ करने पर अपीलाण्ट का वास्तविक नाम सतीराम होना पाया गया है।

लिहाजा अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार करते हुए ग्राम ऐवाड़ी भीमजी तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 47 रकबा 157–02 बीधा भूमि के राजस्व रिकार्ड(जमाबंदी) मे **अंकित गलत प्रविष्टि आसुराम वल्द सालगाराम के स्थान पर सही नाम सतीराम वल्द सालगाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष बदुस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे। सरकारी संस्था/ गैर सरकारी संस्था से किसी प्रकार का ऋण इत्यादि बकाया होने पर पाबन्दी। अपीलांट द्वारा वहन किया जायेगा।
आदेश मजमे आम सुनाया गया।

[signature] 02/6/22
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

[signature]
02/6/22
उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner